न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 45)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरमुख सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवास सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. नक्षत्र सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. निहाल कौर पुत्री भाग सिंह भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. बक्शो पुत्री भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. बख्तावर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. महेन्द्रो पुत्री भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. वीरो पुत्री भाग सिंह जाति बावरी निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:— 04.03.2024

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

——निर्णय—— दिनांक : 20.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60 / 51 के मुरब्बा नम्बर 9, 32 / 23 की कुल 3.288 हैक्टेयर नहरी गैरखातेदारी भूमि वादी के पिता जीत सिंह, मखन सिंह, इकबाल सिंह आदि द्वारा दिनांक 29.08.1974 को भाग सिंह के वारिसान मु. गुरो बेवा भाग सिंह व नक्षत्र सिंह, बख्तावर सिंह, दर्शन सिंह पिसरान भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर से खरीद की गई। भाग सिंह की मृत्यू के पश्चात उक्त भूमि जरिये विरास्तन दर्ज हुई। मृतक भाग सिंह के वारिसान द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा वादी के पिता जीत सिंह आदि को बेचान की गई है। तब से आज तक भूमि पर वादी व इकबाल सिंह, मखन सिंह, आदि काबिज चले आ रहे है। मृतक भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह की जाति जटसिख है। जमाबन्दी सम्वत 2012 ता 2015 में भी जाति जटसिख दर्ज है। सहवन से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत 2036 में भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह की जाति बावरी दर्ज हो गई। उसी मुताबिक मृतक भाग सिंह के वारिसान की जाति भी बावरी दर्ज हो गई। वादी के पक्ष में बैयनामाजात में भी मृतक भाग सिंह के वारिसान की जाति जटसिख सही दर्ज है। उक्त भूमि गैरखातेदारी दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में जाति दुरूस्त करवाने के पश्चात् ही खातेदारी प्राप्त होगी। जिनके वादी/प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी कार्यवाही की गई। जिस पर श्रीमान् जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भाग सिंह की जाति बावरी के स्थान पर जटसिख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये गए। इसके बावजूद आज तक राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर जटसिख दर्ज नहीं किया गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/51 के मुरब्बा नम्बर 9, 32/23 की कुल 3.288 हैक्टेयर रकबा गैरखातेदार में शुद्धिपत्र मुताबिक जाति बावरी को दुरूस्त कर जाति जटसिख दर्ज किए जाने की डिक्री पारित की जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2252 दिनांक 09.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 58 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2012 ता 2015 में उक्त भूमि भाग सिंह वल्द हुकम सिंह कौम जटसिख गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नामान्तरण संख्या 82 विरास्तन भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति बावरी साकिन देह गैरखातेदार से कृषि भूमि नक्षत्र सिंह, दर्शन सिंह, वख्तावर सिंह पिसरान भाग सिंह, निहाल कौर महेन्द्रो, वीरो, बक्शो दु. भाग सिंह ब.हि.ब. कौम बावरी साकिन देह गैरखातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। मुताबिक मौका जांच भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह का कोई भी वारिस प.म. 58 एफ में निवास नहीं कर रहा व मौके पर उक्त कृषि भूमि पर कुलदीप सिंह पुत्र ईकबाल सिंह ने काश्त कर रखी है। कुलदीप सिंह लगभग 8 बीघा भूमि ठेके पर काश्त कर रहा है व अन्य लगभग 4 बीघा भूमि पर ईकबाल सिंह पुत्र मोहन सिंह के हिस्से पर काश्त कर रहा है। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर मृतक भाग सिंह के वारिसान को वादपत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को जरिए पंजीकृत डाक तलब किया गया। पंजीकृत डाक से भेजे गए सम्मन गलत पता के कारण अदम तामिल वापिस प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पंत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/51 की प्रति, तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2005 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 58 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2012 ता 2015 के खाता संख्या 24 की प्रमाणित प्रति, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2027 ता 2036 के खाता संख्या 15 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर के प्रकरण संख्या 01/2004 अनवान बख्तावर सिंह बनाम मक्खन सिंह अन्तर्गत धारा 183 बी निर्णय दिनांक 16.06.2004 की प्रति, बैयनामाजात की प्रतियों, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/51 अंकित काश्तकारान की जाति बावरी के स्थान पर जटसिख दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 58 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2012 ता 2015 में उक्त भूमि भाग सिंह वल्द हुकम सिंह कौम जटसिख गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नामान्तरण संख्या 82 विरास्तन भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति बावरी साकिन देह गैरखातेदार से कृषि भूमि नक्षत्र सिंह, दर्शन सिंह, बख्तावर सिंह पिसरान भाग सिंह, निहाल कौर महेन्द्रो, वीरो, बक्शो दु. भाग सिंह ब.हि.ब. कौम बावरी साकिन देह गैरखातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। मुताबिक मौका जांच भाग सिंह पुत्र हुकम सिंह का कोई भी वारिस प.म. 58 एफ में निवास नहीं कर रहा व मौके पर उक्त कृषि भूमि पर कुलदीप सिंह पुत्र ईकबाल सिंह ने काश्त कर रखी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरमुख सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **12/2024**
निर्णय दिनांक :- 20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/51 अंकित काश्तकारान की जाति बावरी के स्थान पर जटसिख दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/31 दिनांकः 20.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते